

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 149

विषय:- सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, दक्षिणी-पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री धर्म देव सोलंकी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107/151 के अंतर्गत दिनांक 07.04.2006 को अप.1330 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से अप.1500 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 07th April 2006/17Chaitra 1928

No. 149

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, South West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Dharam Deo Solanki, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi, was detained u/s 107/151CrPc, at 1330 hrs. on 7.4.2006.

He was released at 1500 hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary